कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद।

पत्रांक 1484 /दिनांक 25.10.2018

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद औरंगाबाद।

सेवा में,

वरीय लेखा अधिकारी,
श0 स्था0 नि0/सामाजिक प्रक्षेत्र–1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
कार्यालय महालेखाकार (ले0प्र0)
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–01

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **नगर परिषद् औरंगाबाद के अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–759/13–14 के अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय नगर परिषद् औरंगाबाद के अंके क्षण प्रतिवेदन सं0–759/13–14 के अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

कृप्या प्राप्ति स्वीकार किया जाए।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

विश्वासभाजन

25.10.18

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद औरंगाबाद।
25.10.18

कार्यालय नगर परिषद, औरंगाबाद

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०– 759 / 13–14 अंकेक्षण वर्ष 2010–11 से 2011–12 का अनुपालन प्रतिवेदन

कंडिका सं०	अंकेक्षण आपत्ति	अनुपालन प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1. 2. 3.	प्रस्तावना प्रशासन लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	कंडिका सूचनात्मक हैं तथा इस पर अनुपालन की आवश्यकता नहीं हैं।	
4.	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन उपस्थापित नहीं किया जाना	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन तत्समय तैयार नहीं रहने के कारण अंकेक्षण दल के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया था। अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया / कराया जा रहा हैं तथा इसे विभाग / महालेखाकार को समर्पित कर दिया / किया जा रहा हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
5.	प्रमुख लेखा उपलब्धि	कंडिका सरंशात्मक है तथा इसका विस्तृत विवरण आगे की कंडिकाओं में हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
6.	वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक का वार्षिक आय–व्यय लेखा तैयार नहीं किया गया हैं।	विहित प्रपत्र–XVII एवं XVIII में त्रैमासिक एवं वार्षिक आय–व्यय लेखा तैयार किया गया हैं। पी.एल. एकाउन्ट के कोषागार पासबुक और कैश बुक के बीच मो०– 1050.73 रु० का अंतर काफी पुराना था जिसका समाधान कर लिया गया हैं। आयकर / वैट / रॉयल्टी मद में काटी गई राशि संबंधित विभाग में जमा करा दिया गया हैं।	
7.	अनुदानों के व्यय तथा अवशेष राशि की स्थिति से अगले लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया जाए	वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में प्राप्त अनुदान को व्यवहृत कर लिया गया हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
8.	निधि का ग्रामीण बैंक तथा को–ऑपरेटिव बैंक में रखा जाना	जिला को–ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद के खाता सं०– 4529 को बन्द कर उसकी सम्पूर्ण राशि केनरा बैंक, औरंगाबाद के खाता में रखा गया हैं। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद के खाता सं०–70860100046471 में धारित अनुदान की राशि व्यय कर लिया गया हैं, अब इस खाता का उपयोग विविध कार्यालय व्यय के लिए किया जाता हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

9.	नगर परिषद द्वारा मकान कर का मांग एवं वसूली पंजी का संधारण	नगर परिषद में टैक्स दरोगा / टैक्स सहायक का पद नहीं हैं और स्वीकृत कर संग्रहकर्ता का पद रिक्त हैं। फलतः मांग पंजी संधारित नहीं हैं। अब Online सम्पति कर की वसूली हो रही हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
10.	नहीं जमा / कम जमा राशि, जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय	रसीद सं०– M–10348–10400 तक संग्रहित राशि में से कम जमा मो०– 1965.00 रु० दिनांक– 29.5.2014 को तथा रसीद सं०– M–10855–10990 तक संग्रहित राशि मो०– 2420.00 रु० दिनांक– 16.10.2012 को नगर निधि में जमा कर दिया गया हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
11.	नगर परिषद द्वारा की गयी बन्दोबस्ती के विरुद्ध मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं / कम वसूली	संबंधित बन्दोबस्तदार को मुद्रांक शुल्क की राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया हैं। (छाया प्रति संलग्न) अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
12.	नगर परिषद के दुकानों पर बकाया किराया	नगर परिषद के दुकानों पर आलोच्च अवधि का बकाया लगभग वसूल कर लिया गया हैं। बकाया और वसूली निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया हैं। मिसलेनियस रसीद सं०– 11139 दिनांक– 10.10.2012 से संग्रहित राशि मो०– 4464.00 रु० के सहित MR No. 11130 से 11160 तक संग्रहित कुल राशि 56,606.00 रु० कैशियर द्वारा दिनांक– 04.11.2012 को कैश बुक में जमा किया गया जिसे चालान नं०– 91 दिनांक– 05.11.2012 द्वारा नगर परिषद निधि में जमा कर दिया गया हैं। अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
13.	मोबाईल टावर से संबंधित राशि की वसूली नहीं	मोबाईल टावर कंपनियों के आवेदन पत्र में अंकित पता पर नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था परन्तु संभवतः पता बदल जाने के कारण बिना तामिला नोटिस वापस लौट गया हैं। वर्तमान पता की जानकारी प्राप्त कर पुनः नोटिस भेजने की कार्रवाई की जायेगी।	
14.	क्वींस बेंटन रेले– 2010 के आगमन पर किया गया व्यय मो०– 25,000.00 रु० को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाना	क्वींस बेंटन रेले' 2010 के आगमन पर दो गेट का निर्माण खिलाडियों के सम्मान में किया गया था। नगर परिषद बोर्ड की बैठक दिनांक– 13.10.2012 को पारित प्रस्ताव अन्यान्य (X) छाया प्रति संलग्न द्वारा इसे नगरपालिका के कृत्यों के अनुरूप मानते हुए इस पर किये गए व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई हैं। अतः इस कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

15.	फार्म 'एम' एवं 'एन' की प्राप्ति नही	संवेदक द्वारा विहित फार्म 'एम' एवं 'एन' प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रॉयल्टी के रूप में विहित दर से रॉयल्टी की कटौती कर खनिज विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाता हैं। कंडिका सूचनात्मक हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
16.	बिना प्रयोजन अनुदान राशि का अवरोधन (नगर प्रबंधक का मानदेय)	नगर प्रबंधक को माह– फरारी' 2011 तक मानदेय भुगतान मद में बैंक ड्राफ्ट के रूप में 140,000.00 रु० का आवंटन प्राप्त हुआ था, जो आज भी पी.एल. खाता में जमा है। उक्त राशि जिस शीर्ष में वापस करनी हैं उसकी जानकारी प्राप्त की जा रही हैं। शीर्ष ज्ञात होते ही राशि उक्त शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
17.	नगर परिषद निधि का दुरूपयोग	तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पर शहर के सौन्दर्यीकरण हेतु समाहरणालय परिसर स्थित पार्क–सह–झरना निर्माण योजना का क्रियान्वयन निविदा निकाल कर तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया था। कार्यहित में सफल संवेदक को दिनांक– 05.2.2011 को कार्यादेश निर्गत किया गया था तथा एकरारनामा दिनांक– 10.02.2011 को कराया गया हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
18.	अनाधिकृत भुगतान	बोर्ड की बैठक दिनांक– 05.8.2010 के प्रस्ताव अन्यन्त (ix) द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के लिए चार चक्का का वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी वरीय उपसमाहर्ता के अतिरिक्त अन्य कई विभागों के प्रभार में थें। फलतः नगर परिषद के कार्यहित में उन्हें किरायें पर बोलेरों (नया गाड़ी क्रय नहीं होने के कारण) उपलब्ध कराया गया था। नगर परिषद निधि से ओवरहेड डायरेक्शनल (साईनेज) बोर्ड पर किये गए भुगतान की स्वीकृति बोर्ड की बैठक दिनांक– 13.10.2012 को पारित प्रस्ताव अन्यान्य (xi) द्वारा प्रदान की गयी हैं।	
19.	योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक भुगतान	योजना सं०– BRGF–07/2010–11 एवं योजना सं०– BRGF–13/2010–11 में कार्यहित में स्थल के आवश्यकतानुसार प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के 10% (+/-) के अन्तर्गत कार्य कराया गया था जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत था। इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई जिम्मेवार नहीं हो सकता हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

20.	योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक भुगतान	योजना सं०– RCD–01/2010–11 एवं योजना सं०–DC–2/2010–11 में कार्यहित में स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक लम्बाई में आम जनता के आग्रह पर कार्य कराया गया था, परन्तु यह स्वीकृत राशि के अन्तर्गत था। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
21.	अदरी नदी के तट पर शवदाह शेड (मोक्षधाम) का निर्माण पर निष्फल व्यय	योजना सं०– CS–02/2010–11 अदरी नदी के तट पर शवदाह शेड (मोक्षधाम) का निर्माण से संबंधित था। यह कार्य नदी के तट पर बांध के उपरी भूमि पर कराया जा रहा था। नदी / बांध पर जलग्रहण की स्थिति में कार्य बन्द हो जाता था। फलतः यह कार्य जुन' 2013 में पूरा करा लिया गया तथा कुल भुगतान स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही किया गया है। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
22.	13वीं वित्त आयोग की राशि का अनियमित व्यय	बोर्ड की सामान्य बैठक दिनांक– 27.9.2011 को पारित प्रस्ताव सं०– 3 द्वारा 13वीं वित्त आयोग अनुशंसित निधि से 120 कूडादान, 20 हैण्डट्रॉली, एक फॉगिंग मशीन आदि क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी (छायाप्रति संलग्न)। विभागीय ज्ञापांक– 2365 दिनांक– 12.5.2008 से प्रदत्त निदेशालोक में नगर परिषद हाजीपुर का आपूर्ति आदेश ज्ञापांक– 1546 दिनांक– 22.6.2011 में वर्णित विशिष्टियों एवं स्वीकृत दर @30,250.00 से कम दर पर @29250.00 रु० पर डस्टबिन की आपूर्ति बालाजी कॉर्पोरेशन से ली गई थी। इस तरह यह क्रय नगर परिषद की आवश्यकता को देखते हुए किया गया हैं जिसमे समय और निधि की बचत हुई हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
23.	नागरिक सुविधान्तर्गत छठ घाट का निर्माण में विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं	योजना सं०– CS–01 / 2010–11 अदरी नदी के तट पर छठ घाट का निर्माण से संबंधित हैं। यह कार्य नदी के तट पर कराया जा रहा था। नदी में पानी बढ़ने से बार–बार निर्माण कार्य प्रभावित होता रहा। जिस कारण संवेदक को अवधि विस्तार की स्वीकृति भी दी गयी थी। इस योजना का अंतिम भुगतान 04.02.2012 को तथा अग्रधन की वापसी 01.11.2012 को हो चुकी थी। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

24.	संदेहास्पद भुगतान 64.00 लाख सोडियम लाईट का अधिष्ठापन	कार्यपालक अभियंता RCD–2 औरंगाबाद द्वारा सोडियम भैपर स्ट्रीट लाईट का टेन्डर निकालकर विक्टर कंस्ट्रक्शन इन्टरप्राईजेज को कार्यादेश दिया गया था। तत्समय इस निकाय को भी 70.00 लाख रु० का आवंटन स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन हेतु प्राप्त हुआ था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक ही एजेंसी से दोनों विभाग को कार्य कराने का निदेश दिया था। तदनुसार मो०– 70.00 लाख रु० का आवंटन इस कार्यालय द्वारा RCD को उपलब्ध करा दिया गया था। प्रमंडल का चेक निर्गम अधिकार लंबित रहने तथा माननीय मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए RCD और फार्म के अनुरोध पर तत्काल BRGF मद में उपलब्ध राशि से प्रथम किस्त का भुगतान किया गया था। बाद में RCD से 70.00 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त होने पर BRGF से किये भुगतान का समायोजन कर लिया गया और कुल– 64.00 लाख रु० का भुगतान किये गए कार्य के विरुद्ध RCD के प्रतिवेदन पर कार्यहित में किया गया। बाद में उसका मूल्यांकन हेतु MB तैयार कराया गया ताकि दिए गए किस्त का समायोजन हो सकें। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
25.	श्रम उपकर की कटौती नहीं	जानकारी के अभाव में तत्समय निर्माण कार्य पर कुल व्यय का @1% श्रम उपकर की कटौती नहीं की जाती थी। परन्तु लेखा परीक्षा दल द्वारा इस बाबत जानकारी मिलने के बाद से सभी निर्माण कार्य के विपत्रों से @1% श्रम उपकर की कटौती कर उसे संबंधित विभाग में जमा कर दिया जाता हैं। अतः उक्त आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
26.	अनाधिकृत निर्माण	नगर परिषद कार्यालय भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा मो०– 50,00,000.00 रु० का आवंटन प्राप्त हुआ था। नगर परिषद औरंगाबाद को इसके लिए अपनी भूमि उपलब्ध नहीं थी। फलतः कार्यालय भवन बनाने हेतु जिलाधिकारी महोदय से मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी ने मिलकर अनुरोध किया था। ब्लॉक मोड स्थित सेल टैक्स के परिसर में काफी सरकारी भूमि उपलब्ध थी, जिसपर भवन बनाने हेतु जिलाधिकारी महोदय ने मौखिक सहमति प्रदान करते हुए शिलान्यास भी किया था। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी ने निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया था और बिना किसी आपत्ति के भवन निर्माण भी पूरा हो गया। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	

27.	कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	कंडिका सूचनात्मक हैं। अतः इस आपत्ति कंडिका को विलोपित करने की कृपा की जाए।	
28.	लेखा परीक्षा का परिणाम		
29.	सामान्य अभियुक्ति		

25.10.18
लेखापाल
नगर परिषद औरंगाबाद

25.10.18
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद औरंगाबाद